न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 3 / 42 दायर दिनांक 05.06.2025 निर्णय दिनांक 24.06.2025

उनवान

01 मन्याराम पुत्र खैराती जाति सैनी निवासी ग्राम मेवखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर

....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम मश्वरे दुरस्ती किये जाने बाबत।

निर्णय

प्रार्थी मन्याराम पुत्र खैराती जाति सैनी निवासी ग्राम मेवखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम आराजी हाल खाता सं. 151 में खसरा नंबर 249/0.45, 250/0.46 हैक्ट., खाता सं. 61 मे खसरा नंबर 388/0.14, 389/0.02, 730/0.75 हैक्ट., खाता सं. 64 मे खसरा नंबर 361/0.02, 362/0.06, 363/0.10 हैक्ट., खाता सं. 66 मे खसरा नंबर 366/0.06, 367/0.06, 368/0.06, 369/0.06, 370/0.06, 371/0.03, 372/0.04, 394/0.10, 395/0.09, 396/0.10, 397/0. 09 हैक्ट., खाता सं. 67 मे खसरा नंबर 175/0.08, 176/0.09, 177/0.09, 192/0.01, 193/0.17, 194/0.18, 198/0.18 हैक्ट., खाता सं. 68 मे खसरा नंबर 186/0.04, 190/0.21, 191/0.20 हैक्ट. वाके ग्राम मेवखेड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज. में स्थित है। जो प्रार्थना पत्र हाजा में विवादित है तथा आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित की जायेगी। यह कि उक्त आराजी के हाल राजस्व रिकोर्ड (जमाबंदीयों) मे सहबन गलती से प्रार्थी का नाम मन्नाराम पुत्र खैराती व एक जमाबंदी खाता सं. 61 में प्रार्थी का नाम मन्नालाल पुत्रं खैराती दर्ज हो गया जबकि मिन प्रार्थी का सही व दुरूस्त नाम मन्याराम पुत्र खैराती है जो प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि मे मन्याराम पुत्र खैराती ही दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम मन्याराम ही है परन्तु गांव की आम बोल चाल की भाषा में प्रार्थी को मन्नाराम व मन्नालाल के नाम

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

बुलाया जाता है इसलिये जमाबंदी मे सहबन गलती प्रार्थी का कहीं मन्नाराम तो कहीं मन्नालाल हो गया है जबकि प्रार्थी का सही व दुरूस्त नाम मन्याराम ही है तथा मन्याराम नाम से ही प्रार्थी सभी कार्य निष्पादित होते है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम मन्याराम पुत्र खैराती दर्ज है व राजस्व रिकोर्ड मे प्रार्थी का नाम मन्नाराम पुत्र खैराती व मन्नालाल पुत्र खैराती दर्ज होने के कारण प्रार्थी को भारी परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है। तथा प्रार्थी के हक हकूक जायल होने का अंदशा बना हुआ है। अब प्रार्थी को जब अपनी आराजी पर बैंक ऋण लेने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी ने इन्टरनेट से हाल की जमाबंदीयां प्राप्त की तो प्रार्थी को पता चला कि प्रार्थी के हाल राजस्व रिकोर्ड मे प्रार्थी का नाम मन्याराम के बजाये मन्नाराम व मन्नालाल दर्ज है जो कि गलत है। इससे पहले प्रार्थी को इस बात की जानकारी नहीं थी जब प्रार्थी ने इसको पटवारी हल्का से दुरूस्त करने के लिये कहा तो पटवारी हल्का ने आवश्यक दस्तावेज लेकर अप्रार्थी सं. 1 से मिलने के लिये कहा जिस पर प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजी के संबध मे आवश्यक नकले प्राप्त की और प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 से इसे दुरूस्त करने के लिये कहा तो अप्रार्थी सं. 1 ने कहा कि राजस्व रिकोर्ड मे दुरूस्ती करवानी है तो इसके लिये सक्षम न्यायालय से आदेश लाने होंगे। यह कि उक्त गलती राजस्व रिकोर्ड में सहबन से हुई है जिससे प्रार्थी को भारी परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है। तथा प्रार्थी के राजस्व संबंधी कार्य बाधित हो रहे है। इसलिये राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र जानकारी होने पर बिना देरी पेश किया जा रहा है। प्रार्थी का सही व दुरूस्त नाम मन्याराम पुत्र खैराती है इसलिये प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो के आधार पर राजस्व रिकोर्ड मे प्रार्थी का नाम मन्नाराम पुत्र खैराती व मन्नालाल पुत्र खैराती के स्थान पर मन्याराम पुत्र खैराती दुरूस्त किया जावे। जो प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजो मे दर्ज है, तथा हाल राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के हक हकूक जायल होते है जिसे राजस्व रिकोर्ड मे दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर आराजी हाल खाता सं. 151 मे खसरा नंबर 249/0.45, 250/0.46 हैक्ट., खाता सं. 61 मे खसरा नंबर 388/0.14, 389/0.02, 730/0.75 हैक्ट., खाता सं. 64 में खसरा नंबर 361/0.02, 362/0.06, 363/0.10 हैक्ट., खाता सं. 66 मे खसरा नंबर 366/0.06, 367/0.06, 368/0.06, 369/0.06, 370/0. 06, 371/0.03, 372/0.04, 394/0.10, 395/0.09, 396/0.10, 397/0.09 हैक्ट., खाता सं. 67 मे खसरा नंबर 175/0.08, 176/0.09, 177/0.09, 192/0.01, 193/0.17, 194/0.18, 198/0.18 हैक्ट., खाता सं. 68 मे खसरा नंबर 186/0.04, 190/0.21, 191/0.20 हैक्ट. वाके ग्राम मेवखेड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज. में स्थित है मे हाल राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज प्रार्थी के नाम

उप खण्ड़ अधिकारी
रामगढ (अलवर)

क्रमांक 03/42
उनवान मन्याराम बनाम सरकार

…व मन्नालाल को कलमज़न कर उसके स्थान पर सही नाम मन्याराम दुरूस्त करने के आदेश …करने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) को …टिस जारी किये गये। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) तहसीलदार रामगढ की ओर से न्यायालय में …र्थना पत्र के जवाब में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र अंकित …ाके ग्राम वाके मेवखेडा की जमाबन्दी के हाल खाता संख्या 61 में प्रार्थी का नाम मन्नालाल पुत्र खैराती व खाता संख्या 64, 66, 67, 68, 151 में प्रार्थी का नाम मन्नराम पुत्र खैराती हिस्से अनुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रार्थी के अन्य नाम से सम्बधित दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम मन्याराम है। अतः मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व प्रार्थी अन्य नाम से सम्बधित दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मन्नाराम, मन्नलाल के स्थान पर मन्याराम किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्ररतुत रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वाके मेवखेडा के खाता सं0 61 में मन्नालाल व खाता संख्या 64, 66, 67, 68, 151 में मन्नाराम के स्थान पर मन्याराम किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैरोकार सरकार रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम मेवखेडा के खाता संख्या 61 व 64, 66, 67, 68 के राजस्व रिकॉर्ड में मन्नालाल, मन्नाराम के स्थान पर मन्याराम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम मेवखेडा के राजस्व रिकॉर्ड में मन्नालाल, मन्नाराम के स्थान पर मन्याराम दुरूस्त किया जाता है। उक्त दुरूस्ती हेतु तहसीलदार रामगढ को अहमकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ अलवर

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)